

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

—:—

क्रमांक 214/63/2019 /ब-1 /चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०४/०३/२०१९

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी,  
मध्यप्रदेश शासन ।

विषय:—मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-4 सन् 2019 मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-3)  
अधिनियम 2019 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की सूचना ।

—:—

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-4 सन् 2019 मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-3)  
अधिनियम 2019 दिनांक 06/03/2019 (तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018-19)  
को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ।

2/ अधिनियम में सम्मिलित प्रावधानों के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक आवश्यकता  
की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन आवश्यक है। इस हेतु  
कृपया संलग्न प्रपत्र के साथ प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से भेजे जायें।

संलग्न: (उपरोक्तानुसार)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक ०४/०३/२०१९

पृ० क्र० : 215/63/2019/चार/ब-1

प्रतिलिपि:—

1. संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय,  
भोपाल को अग्रेषित ।
2. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम 2019 में सम्मिलित प्रावधानों के संबंध में आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

| बजट शीर्ष | मुख्य वजट में प्रावधान | प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान | पुनर्विनियोजन से वृद्धि(+)/कमी(-) | कुल उपलब्ध प्रावधान (2+3+4) | अद्यतन व्यय (फरवरी, 2019 तक) | शेष उपलब्ध प्रावधान (5-6) | तृतीय अनुपूरक अनुमान (अधिनियम क्र-4 सन् 2019)में प्रावधान | इस माह मार्च में कुल आवश्यकता | आवश्यकता का कारण |
|-----------|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1         | 2                      | 3   | 4                                 | 5                           | 6                            | 7                         | 8   | 9                             | 10               |
|           |                        |   |                                   |                             |                              |                           |   |                               |                  |
|           |                        |   |                                   |                             |                              |                           |   |                               |                  |
|           |                        |   |                                   |                             |                              |                           |   |                               |                  |
|           |                        |   |                                   |                             |                              |                           |   |                               |                  |

टीप :- कमाक 9 का योग कमाक 7 एवं 8 के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

- II कड़िका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन/समर्पण से किये जाने के संबंध में टीप दें।
- III यदि कड़िका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित/अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित हैं, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दें।